# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल दमोह (म0प्र0)

पता – कमला नेहरू कॉलेज के पास सिविल वार्ड नं.–4, जिला दमोह (म.प्र.) पिन : 470661

E-Mail :-dfotdmoh@mp.go.vin Phone :- 07812-222541 Fax -07812-227205


क्रमांक/मा.चि./2018/3009 दमोह,दिनांक 22-11-2018

प्रति,

प्रबंधक
रिलायंस जियों इंफो कॉम लिमिटेड
तृतीय तल, डी.बी.माल,
एम.पी.नगर भोपाल

विषयः– **अभाना से धनसरा मार्ग पर राईट ऑफ वे के अंतर्गत (सड़क के किनारे–किनारे) ओ.एफ.सी. केविल लाईन डालने बावत्।**

संदर्भः–
1. आपका पत्र प्राप्ति दिनांक 01.06.2018.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/2018/निर्देश/10–11/48 दिनांक 06.01.2018.
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/विविध/2018/10–11/725 दिनांक 12.03.2018
4. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर का पत्र क्रमांक/माचि./एफ.सी.ए.–ओ.एफ.सी. 1/2018/5717 दिनांक 01.10.2018.
5. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/माचि./2018/2624 दिनांक 01.10.2018.
6. आपका पत्र दिनांक 30.10.2018.

-------------000-------------

विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/माचि./2018/2624 दिनांक 01.10. 2018 द्वारा **अभाना से धनसरा मार्ग पर राईट ऑफ वे के अंतर्गत (सड़क के किनारे–किनारे) ओ.एफ.सी. केविल लाईन डालने हेतु 0.534 हे.** वनभूमि उपयोगार्थ की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के संदर्भित पत्र क्रमांक/एफ–5/2018/निर्देश/10–11/48 दिनांक 06.01.2018 में दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/माचि./2018/1846 दिनांक 30.06.2018 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करते हुऐ आवेदक संस्थान से शर्तो के पालन हेतु वचन–पत्र प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया। आवेदक संस्था द्वारा शर्तो के पालन का वचन–पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप **अभाना से धनसरा मार्ग पर राईट ऑफ वे के अंतर्गत (सड़क के किनारे–किनारे) ओ.एफ.सी. केविल लाईन डालने** में प्रभावित 1.00 हे. से कम 0.534 हे. वनभूमि व्यपवर्तन की **औपचारिक अनुमति** निम्न शर्तो के अधीन जारी की जाती है।

1. स्वीकृति के अधीन ओ.एफ.सी. केविल लाईन डालने का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्रमांक | परिक्षेत्र का नाम | वन कक्ष क्रमांक | प्रभावित वनभूमि | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | लम्बाई मी. | चौड़ाई मी. | क्षेत्रफल हे.मे. |
| 1 | सगोनी | RF 417, RF 418, RF 419, RF 423, RF 424, RF 415 | 8900 M | 0.60 M | 0.534 |

2. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी।
3. वन भूमि व्यवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राइट ऑफ वे के तहत है, राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
4. वन भूमि पर भूमिगत आप्टीकल फाईवर केबिल/भूमिगत टेलीफोन लाइन केबिल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 0.60 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होगा। खोदे गये गढ़डों को आवेदक द्वारा पूरा जाकर समतल स्थिति में लाया जावेगा।
4. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
5. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।
6. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई निकाली गई मिट्टी से संबंधित वनाधिकारी की उपस्थिति में किया जाकर सूचना वन मंडल अधिकारी को आवेदक स्वयं लिखित में देगा।
7. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन् नहीं किया जावेगा।
8. खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।
9. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है ,तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
10. सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद उक्त कार्य नही किया जावेगा ।
11. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि आपके द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में ही कार्य किया जावेगा, अन्य वन क्षेत्रों में नहीं।
12. औचारिक स्वीकृति जारी दिनांक से मात्र **06 माह** की अवधि तक के लिये वैद्य होगी, इसके उपरांत स्वीकृति स्वमेव ही समाप्त हो जावेगी।
13. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी, एवं वन मंडल अधिकारी दमोह वन मंडल दमोह को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. आवेदक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन किया जावेगा।
15. म.प्र.शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 द्वारा अंडरग्राउड ऑप्टीकल फाईबर केवल लाईन को डालने के प्रकरणों में एन.पी.व्ही की राशि से छूट दी गई है। यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन/प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र., द्वारा एन.पी.व्ही. जमा करने सहित अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होगी।

उक्त औपचारिक स्वीकृति के तहत आवेदक संस्थान संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित कर मौके पर कार्य प्रारंभ कर सकेगे।

22.11.18

**प्रशांत कुमार सिंह**
(भा0व0से0)
**वन मंडलाधिकारी**
**सामान्य वन मण्डल,दमोह (म.प्र.)**

22/11/18

पृ.क्रमांक/माचि./2018/3010 दमोह, दिनांक 22-11-2018

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र.भोपाल को सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर को सूचनार्थ संप्रेषित।

3. कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि विषयांकित ओ.एफ.सी.लाईन बिछाने की अनुमति आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वन विभाग के अधिपत्य में आने वाली वनभूमि के लिए ही जारी की जा रही है। उक्त अनुमति में राजस्व विभाग के अधीन छोटे झाड़/बडे झाड़ के जंगल मद की भूमि तथा अन्य भूमियॉ सम्मिलित नहीं है। यदि आवेदक संस्था द्वारा राजस्व विभाग के अधीन छोटे झाड़/बडे झाड़ के जंगल मद की भूमि में खुदाई की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये वन मंडल कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही की जा सके।

4. उप वन मंडल अधिकारी **दमोह** को सूचनार्थ अग्रेषित।

5. परिक्षेत्र अधिकारी **सगोनी** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। ध्यान रहे बिना औपचारिक स्वीकृति के वनक्षेत्र में कोई भी गैरवानकी कार्य न होने पावे।

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल,दमोह (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AV 382409

## वचन–पत्र

विषयः– Request for granting permission for laying Optical Fiber Cable Abhana to Dhansara Road total lengths 11.21 km (0.590 ha.)

संदर्भः– वन मंडल अधिकारी दमोह का पत्र कमांक/मासि./2018/2624 दिनांक 01.10.2018.

-------------000-------------

1. स्वीकृति के अधीन **ओ.एफ.सी. लाईन** निर्माण का विवरण निम्नानुसार हैः–

| कमांक | परिक्षेत्र का नाम | वन कक्ष कमांक | प्रभावित वनभूमि | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | लंबाई मी. | चौड़ाई मी. | क्षेत्रफल हे.मे. |
| 1 | सगोनी | RF 417, RF 418, RF 419, RF 423, RF 424, RF 415 | 8900 M | 0.60 M | 0.534 |

2. म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक/एफ–5/16/200/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 के निर्देशानुसार **अंडरग्राउड ओ.एफ.सी. लाईन** के प्रकरणों में नेटप्रेजेट वैल्यू की राशि से छूट प्रदान की गई है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र कमांक/एफ–5/विविध/2018/10–11/725 दिनांक 12.03.2018 के निर्देशानुसार यदि प्रकरण में एन.पी.व्ही अथवा अन्य कोई राशि नहीं ली जाना है, तो भी आवेदक संस्था को ऑन–लाईन राशि 100.00 रूपये राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम ) के अनुमोदन उपरांत ई पोर्टल के माध्यम से केम्पा खाते के अन्य मद मे जमा कर पुष्टि हेतु जमा की गई राशि की जानकारी शीघ्र आपके कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।

3. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी।

4. वन भूमि व्यवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राइट ऑफ वे के तहत है, राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।

RELIANCE JIO INFOCOMM LTD. DAMOH

5. वन भूमि पर भूमिगत आप्टीकल फाईवर केबिल/भूमिगत टेलीफोन लाइन केबिल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार **2 मीटर** गहरा तथा **0.60 मीटर** चौड़ाई से अधिक नहीं होगा। खोदे गये गढ़डों को आवेदक द्वारा पूरा जाकर समतल स्थिति में लाया जावेगा।

6. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।

7. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।

8. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई निकाली गई मिट्टी से संबंधित वनाधिकारी की उपस्थिति में किया जाकर सूचना वन मंडल अधिकारी को आवेदक स्वयं लिखित में देगा।

9. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन् नहीं किया जावेगा।

10 खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।

11 यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है ,तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।

12 सूर्यास्त के बाद उक्त कार्य नही किया जावेगा ।

13 इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि आपके द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में ही कार्य किया जावेगा, अन्य वन क्षेत्रों में नहीं।

14 औचारिक स्वीकृति जारी दिनांक से मात्र **06 माह** की अवधि तक के लिये वैद्य होगी, इसके उपरांत स्वीकृति स्वमेव ही समाप्त हो जावेगी।

15 किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी, एवं वन मंडल अधिकारी दमोह वन मंडल दमोह को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16 आवेदक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन किया जावेगा।

17 म.प्र.शासन वन विभाग के आदेश कमांक एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 द्वारा अंडरग्राउड ऑप्टीकल फाईबर केवल लाईन को डालने के प्रकरणों में एन.पी.व्ही की राशि से छूट दी गई है। यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन/प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र., द्वारा एन.पी.व्ही. जमा करने सहित अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होगी।

RELIANCE JIO INFOCOMM LTD. DAMOH

मैं शहनावाज अहमद आर.ओ.डब्ल्यू. (सहायक प्रबंधक) रिलाईश इंन्फोकॉम लि. भोपाल सत्यापित करता हूँ कि वचन पत्र में वर्णित शर्त कमांक 01 से 17 तक का पालन करने का वचन देता हूँ।

RELIANCE JIO INFOCOMM LTD. DAMOH

Reliance Jio
Infocomm Limited

To,
The Divisional Forest Officer
Forest Division
Damoh (M.P.)

Date: 30/10/2018

Sub : **Letter Ref No क्रमांक / मा. चि./2018/2624, Dated :- 01/10/2018.**

Dear Sir,

This is in reference with the above mentioned subject we would like to inform you that, Reliance Jio is on its way forward to make Madhya Pradesh a first digital State in India bringing in high speed broadband revolution impacting best educational and business process. In order to do the same we have been laying fiber and erecting towers for most advanced 4G Wi-Fi infrastructure at Damoh District with all due permission from the respective authority .

For Above mentioned letter which we have received, we are submitted **The Agreement & RTGS Challan, payment receipt for Abhana-Dhansara Route.**

Enclosed:-

1- **Agreement.**
2- **RTGS Challan, payment receipt.**

कार्यालय वनमंडल अधिकारी
दमोह (म.प्र.)
आवक क्रमांक 2764
दिनांक 31/10/18

Regards

Reliance Jio Infocomm Ltd.

Authorised Signatory

Reliance Jio Infocomm Ltd.

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 20-10-2018

| | |
|---|---|
| Agency Name. | RELIANCE JIO INFOCOM LTD. |
| Application No. | 19933956222 |
| MoEF/SG File No. | MP/OTHER/5 |
| Location. | MADHYA PRADESH |
| Address. | 3rd Floor DB MallBhopal |
| Amount(in Rs) | 100/- |

Amount in Words :One Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | MADHYA PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 1507619933956222<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 20-10-2018

| | |
|---|---|
| Agency Name. | RELIANCE JIO INFOCOM LTD. |
| Application No. | 19933956222 |
| MoEF/SG File No. | MP/OTHER/5 |
| Location. | MADHYA PRADESH |
| Address: | 3rd Floor DB Mall Bhopal |
| Amount(in Rs) | 100/- |

Amount in Words :One Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | MADHYA PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 1507619933956222<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

**After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in**

Abhana - Dhansara

10/20/2018

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 20-10-2018

| | |
|---|---|
| Agency Name. | RELIANCE JIO INFOCOM LTD. |
| Application No. | 19933956222 |
| MoEF/SG File No. | MP/OTHER/5 |
| Location. | MADHYA PRADESH |
| Address. | 3rd Floor DB MallBhopal |
| Amount(in Rs) | 100/- |

Amount in Words :One Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | MADHYA PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 1507619933956222<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

T-ID 0000544332386

Scanned by CamScanner